केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 220 शुक्रवार 7 मार्च 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

शांतिपूर्ण त्यौहार के लिये डीएम, एसपी ने किया पैदल गश्त

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर, थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती, प्र0 चौकी दक्षिण दरवाजा व अन्य अधिकारी–कर्मचारीगण के साथ थाना पुरानी बस्ती अन्तर्गत दक्षिण दरवाजा, मंगल बाजार होते हुए करुँआ बाबा तक मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल गस्त कर आगामी त्यौहार में शान्ति व कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

विपक्षी दल सोच बदलें- बैजनाथ

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने गुरुवार को बस्ती के सर्किट हाउस समागार में यह टिप्पणी की। रावत ने कहा कि विपक्ष की सोच किसी भी मापदंड पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण हो या महाकुंभ जैसा विश्व का अनूठा कार्यक्रम, विपक्ष हर चीज का विरोध करता है।

आयोग अध्यक्ष ने कुंभ मेले की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए थी। लेकिन कुंभ की आलोचना करके उन्होंने भारत राष्ट्र का विरोध किया है और यहां की व्यवस्था को चुनौती दी है।

इस दौरान कार्यक्रम में आयोग सदस्य रमेश कुमार तूफानी, अनीता कमल, समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडेय और अपर जिला सूचना अधिकारी हितेंद्र चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रावत ने कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया और लोगों की समस्याएं भी सुनीं।

गैंगस्टर को पुलिस ने बिहार से दबोचा

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। कोतवाली पुलिस ने वॉल्टरगंज थाने के वांछित गैंगस्टर मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश निवासी शिवनगर रामबाग थाना सदर जनपद पूर्णिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी था।

अभियुक्त को गैर राज्य से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के खिलाफ वॉल्टरगंज, नगर व कप्तानगंज थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वॉल्टरगंज पुलिस ने उसके खिलाफ गैगेस्टर के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है।

10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी यूपी सरकार–योगी

संवाददाता– गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी। इसके लिए सरकार हर साल एक लाख युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये का लोन दे रही है। योगी, गुरुवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर व बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये का ऋण और ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षुओं को टूलकिट वितरित किया। सीएम ने

कहा कि होली के पहले प्रदेश के युवाओं को दी जा रही सौगात उन्हें उद्यमी बनने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की। इस योजना से पूरे वर्ष भर में एक लाख नए उद्यमियों को जोड़ना था, लेकिन अभी तक ही 2.54 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। यही योजना की लोकप्रियता है। इसमें से एक लाख आवेदन बैंकों को भेज दिए गए हैं। 24 हजार लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो गया है।

डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' को साहित्य वाचस्पति सम्मान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । वरिष्ठ कवि डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' के साहित्यिक योगदान के लिये उन्हें 'साहित्य वाचस्पति' पुरस्कार से अलंकृत किया गया। दिल्ली में आयोजित अन्तराष्ट्रीय कवि सम्मेलन के कम में हिन्दी अकादमी और समग्र चेतना दिल्ली की ओर से वरिष्ठ कवि डॉ. विजय किशोर मानव और डॉ. राधेश्याम बंधु ने अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर डा. जगमग को सम्मानित किया। पिछले पांच दशक से साहित्य के क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय और 'चाशनी' से लेकर ' किसी की दिवाली किसी का दिवाला' विलाप खण्ड काव्य, 'हम तो केवल आदमी है' ' सच का दस्तावेज' खुशियों की गौरैया, 'बाल सुमन' बाल स्वर, आदि कृतियों के रचयिता डॉ. जगमग कृत चांशनी का अब तक 6 संस्करण प्रकाशित हो चुका है।

डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग' को 'साहित्य वाचस्पति' पुरस्कार से अलंकृत किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये चिकित्सक एवं साहित्यकार डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि डॉ. जगमग का रचना संसार जन सरोकारों से जहां सीधा जुड़ा है वहीं उनके कटाक्ष और तीखे व्यंग्य श्रोताओं की जुबान पर चढ़े हुये है। उनका सम्मानित होना साहित्य प्रेमियों के लिये गौरव का क्षण है। वरिष्ठ कवि महेश प्रताप श्रीवास्तव, विनोद उपाध्याय ने कहा कि डॉ. जगमग से साहित्य जगत को बहुत अपेक्षायें हैं, निश्चित रूप से वे इस पर खरा उतरेंगे।

सम्मान से अभिभूत डा. जगमग ने कहा कि उन्होने जिस तरह से जीवन को देखा उसे शब्दों में उतार दिया. यह क्रम अनवरत जारी है। पुरस्कारों से और बेहतर सृजन की क्षमता मिलती है। हिन्दी अकादमी और समग्र चेतना दिल्ली द्वारा मिला सम्मान उनके लिये महत्वपूर्ण है।

डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' को सम्मानित किये जाने पर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी 'दीपक' डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, श्याम प्रकाश शर्मा, बी.के. मिश्र, डा. अफजल हुसेन 'अफजल', पेशकार मिश्र, अर्चना श्रीवास्तव, दीपक सिंह प्रेमी, शाद अहमद शाद, जगदम्बा प्रसाद 'भावुक' डा. अजीत श्रीवास्तव, डॉ. हेमा पाण्डेय, सागर गोरखपुरी, डा. आर.जी. सिंह आदि ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

स्कूल में बेटी के संदिग्ध मौत मामले में पिता ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खपडही निवासी दलित शिव प्रसाद पुत्र राम वेलास ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपनी पुत्री कक्षा 6 की छात्रा 11 वर्षीया रागिनी की स्कूल में संदिग्ध मौत के मामले में विद्यालय के अध्यापक से पूंछताछ कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग किया।

एसपी को दिये पत्र में दलित शिव प्रसाद ने कहा है कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी दो बेटियां कप्तानगंज विकास खण्ड क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय खपडही में पढती थी। गत 10 फरवरी को विद्यालय से फोन आया कि आपकी लड़की रागिनी फांसी लगाकर मर गयी है। स्कूल के छात्रों ने बताया कि मास्टर साहब कमरे का ताला खोलकर ताला उसी कुन्ची से लटकाकर मीडिल स्कूल में चले गये। सम्भ्रान्त व्यक्तियों के कहने पर उसने अपनी पुत्री 11 वर्षीया रागिनी का मनोरमा के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया। शिव प्रसाद के अनुसार कप्तानगंज पुलिस ने जबरिया उसका हस्ताक्षर कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया किन्तु सही दिशा में जांच और अध्यापक से पूंछताछ की जगह उल्टे पुलिस उसी के परिवार को डरा धमका रही है। विभागीय स्तर पर शिक्षक को निलम्बित कर दिया गया है इसके बावजूद कप्तानगंज पुलिस उक्त शिक्षक को बचा रही है। यदि उससे कड़ाई से पूंछताछ की जाय तो रागिनी के मौत का सच सामने आ जायेगा और दोषी दण्डित होंगे। उसने न्याय की गुहार लगाया है।

नगर पंचायत नगर में 39 करोड़ के विकास योजनाओं का बजट प्रस्ताव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत नगर बोर्ड की बैठक में 39 करोड के विकास योजनाओं का बजट प्रस्ताव पेश किया गया। अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने कहा कि नगर को देश का मॉडल नगर पंचायत बनाने का प्रयास जारी रहेगा। जनसेवा और विकास की निरंतरता के लिए सदन कटिबद्ध है। अध्यक्ष श्रीमती राना ने क्षेत्रीय विधायक दूध राम का स्वागत करते हुए नवसृजित नगर पंचायत के चतुर्दिक विकास में सहयोग का अनुरोध किया। विधायक श्री दूध राम ने उत्तर प्रदेश शासन और जिला स्तरीय अधिकारियों से नगर के विकास में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया । सदन में एक देश एक चुनाव की नीति लाने वाली नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। इसी प्रकार 144 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में सम्पन्न प्रयागराज महाकुम्भ की सफल व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए धन्यवाद दिया गया। महाकुम्भ में दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर सदन में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

अधिशाषी अधिकारी श्रृष्टि सिंह ने कहा कि नगर पंचायत सदन सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय अंत्योदय के सिद्धान्त पर वचनबद्ध है। सरकारी योजनाओं में आम जनता और सक्षम लोगों अथवा संस्थाओं की साझेदारी सुनिश्चित कर विकास की गति तेज की जाएगी। गरीब परिवारों में मृत्यु पर शव यात्रा में नगर पंचायत की ट्रैक्टर ट्राली निःशुल्क भेजने का निर्णय भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 3000 प्रधानमंत्री आवास और 39 करोड़ की विकास योजनाओं का बजट प्रस्ताव लाया गया। 50 बेड का एलोपैथिक महिला अस्पताल, अग्नि शमन केन्द्र, सड़क, जल निकासी, छठ घाट, आयुर्वेदिक पौधों की नर्सरी, नगर पंचायत का एप, स्कूलों के विकास,पथ प्रकाश, पेयजल, पार्क, जलाशय, डिजिटल लाईब्रेरी, सी सी टीवी निगरानी सिस्टम विस्तार, बारात घर, ऑडिटोरियम, समागार में दर्शक दीर्घा, कार्यालय में सोलर प्लांट, एल ई डी स्क्रीन, आयुर्वेदिक अस्पताल में योग केन्द्र और पंच कर्म हॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स सार्वजानिक शौचालय, शव वाहन, मोबाइल टॉयलेट, स्वच्छता के लिए वाहन और मशीनें सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास, मंडी स्थल का जीर्णोद्धार, मल्टी लेवल पार्किंग, साधन सहकारी समिति का जीर्णोद्धार, पशु अस्पताल का जीर्णोद्धार,स्वागत द्वार आदि कार्य योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली के प्रस्तर 05 में आंशिक संशोधन कर 09 मीटर से 03 मीटर तक चौड़े मार्ग और 03 मीटर से कम चौड़े मार्ग वाले भवनों की कटेगरी बढ़ाने हेतु अनुरोध प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय हुआ जिससे गलियों में निवास कर रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को टैक्स में राहत मिल सके। निर्णय हुआ कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के समुचित वार्षिक लाइसेंस शुल्क, सरकारी भवनों को बहुद्देशीय बनाकर व्यावसायिक उपयोग, टैक्सी स्टैंड, नगर पंचायत की भूमि में बने सरकारी भवनों के शुल्क, तालाबों के पट्टों आदि से कर का प्राविधान किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन को वार्ड वार अभियान चलाकर पात्रों को लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पी एम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं तथा श्रम विभाग के कार्यक्रम तथा योजनाओं से परिवारों को जोड़ा जाए। होली त्यौहार को देखते हुए स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए जाएं। प्रधानमंत्री आवास हेतु ऑनलाइन किए गए सभी आवेदन पात्रता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही कतई जाए।

बैठक में सभासद राजेश कुमार पाण्डेय, दिनेश चौरसिया, राज कुमार चौधरी, राम सजन यादव, संदीप कुमार, वीरेन्द्र कुमार, किरन, रंजना देवी, सोनी सोनकर , सबीना परवीन ने भी चर्चा में भाग लिया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भड़का भारत

नई दिल्ली (आभा)। ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की सुरक्षा में बुधवार को एक गंभीर उल्लंघन हुआ, जब खालिस्तानी समर्थकों ने सुरक्षा में सेंध मारते हुए जयशंकर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। साथ ही भारत विरोधी नारे लगाए। हालांकि, मेट्रोपोलिटन पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। अब पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटेन सरकार ने भी बयान दिया। उसने कहा है कि घटना अस्वीकार्य है और हमने उस वक्त तुरंत ऐक्शन लिया था।

इससे पहले भारत ने कहा था

कि वह उम्मीद करता है कि ब्रिटेन अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारियों का पालन करेगा। गुरुवार को ब्रिटेन ने कहा है कि लंदन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सुरक्षा उल्लंघन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, और अराजकतत्वों को चेतावनी दी कि 'किसी भी तरह के धमकी देने या डराने की कोशिशें अस्वीकार्य हैं।

यह घटना बुधवार को तब हुई, जब जयशंकर 'चौथम हाउस' में एक संवाद सत्र के समापन के बाद वहां से निकल रहे थे। 'चौथम हाउस' 'रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' का मुख्यालय है। इस दौरान एक खालिस्तानी समर्थक ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जबकि अन्य ने भारत विरोधी नारे लगाए। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, मेट्रोपोलिटन पुलिस ने इस स्थिति से निपटने में त्वरित कार्रवाई की और घटना की कड़ी निंदा की।

भारत ने इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है ।

मुस्लिमों से बोले संभल सीओ अनुज चौधरी-होली के रंग से भ्रष्ट हो जाएगा धर्म तो घर से मत निकलो

संभल (आभा)। में होली और रमजान के मद्देनजर कानून–व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पीस कमेटी की मीटिंग में सीओ अनुज चौधरी ने भी सख्त चेतावनी दी है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि होली पर रंग से जिसे ऐतराज है वह घर से न निकले। जुमा साल में 52 बार आता है। जबकि होली सिर्फ एक बार आता है।

संभल में सौहार्दपूर्ण माहौल और शांति से होली और रमजान मनाने के लिए पीस कमेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों को लगता है कि होली के रंग से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वह उस दिन घर से न निकले। अगर निकले तो इतना बड़ा दिल हो सब एक जैसे हैं रंग तो रंग है। जैसे मुस्लिम पक्ष ईद का इंतजार करता

है वैसे ही हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है।

शहर में होली और रमजान के मद्देनजर कानून–व्यवस्था को परखने के लिए बुधवार शाम डीआईजी मुनिराज जी संभल पहुंचे। उनके साथ डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने चन्दौसी चौराहा पर पुलिस बल को ब्रीफ किया और फिर पुलिस व पीएसी के साथ रोडवेज बस स्टैंड, अस्पताल चौराहा, छंगामल कोठी और दीपा सराय में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। डीआईजी मुनिराज जी ने पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से बातचीत की।

उत्पीड़न, धन उगाही के विरोध में पेन्शनर्स एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेन्शनर्स एसोसिएशन जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय के नेतृत्व में पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि पेंशनरों के साथ दुर्व्यवहार और मोटी रकम की अपेक्षा करने वाले कोषागार कार्यालय में कार्यरत भूपेश विश्वकर्मा से पेंशनरो का कार्य न लेकर किसी और से कार्य कराया जाय।

ज्ञापन देने के बाद एसोसिएशन जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय ने बताया कि कोषागार कार्यालय में कार्यरत भूपेश विश्वकर्मा पेन्शनरों का सहयोग करने की जगह तरह–तरह से परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंन्शन स्वीकृत कराने के नाम पर लोगों को दौडाने के साथ ही मोटी रकम मांगते हैं। वे कहते हैं कि संगठन के पास जाओगे तो तुम्हारा काम और बिगड़ जायेगा। एसोसिएशन

जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से सुना और कार्यवाही का आश्वासन दिया।

एसोसिएशन के जिला मंत्री उदय पाल ने मांग किया कि मामलों की जांच के साथ ही कोषागार कार्यालय में कार्यरत भूपेश विश्वकर्मा से पेंशनरो का कार्य न लेकर कोई और कार्य कराया जाय। जिससे पेंशनरों को असुविधा न होने पाये।

प्रभावी कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने वालों में एसोसिएशन उपाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, कोषाध्यक्ष छोटेलाल यादव, सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय, मीडिया प्रभारी राधेश्याम तिवारी, सुरेश धर दूबे आदि शामिल रहे।

पुण्य तिथि पर याद किये गये किसान नेता दीवान चन्द चौधरीः योगदान पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीवान चन्द चौधरी को उनके पांचवी पुण्य तिथि पर याद किया गया। उनके पैतृक गांव पिपराकला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि दीवान चन्द आखिरी सांस तक किसान हितों के लिये लड़े, उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा। इस मौके पर दो लोगों ने रक्तदान किया।

श्रद्धांजलि सभा में पूर्वान्चल अध्यक्ष अनूप कुमार चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र किसान, मण्डल अध्यक्ष महेन्द्र चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, शोभाराम ठाकुर, जयराम वर्मा, जगराम, रामकिशोर, हंसराज यादव, जर्नादन मिश्रा, राम सागर, आर.पी. चौधरी, प्रदीप किसान, आशीष अग्रहरि, प्रदीप प्रधान, सूर्य प्रकाश

सिंह, हरिश्चन्द्र चौधरी, धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, दिवान चन्द पटेल, विनोद कुमार आदि ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीवान चन्द चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि मुण्डेरवा किसान आन्दोलन के दौरान तीन किसानों की शहादत के बावजूद वे चट्टान की तरह खड़े रहे और सरकारों को झुकना पड़ा। मामला लोकसभा में गूंजा, गन्ने का दाम बढा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम शब्द, रामशंकर यादव, रामफेर, चन्द्र प्रकाश, ओम प्रकाश, हृदयराम, दूधनाथ, कन्हैया प्रसाद, तिलकराम, ब्रम्हदेव, रामदास, हरिशंकर पाण्डेय, बब्ली चौधरी, राजेन्द्र कुमार के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाकियू पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 7 मार्च 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

जमीन बेचकर विदेश यात्रा क्यों ?

भारत सरकार शुरू से ही विदेश जाने वालों के प्रति चिंतित, सजग तथा संबंधित रही है। 'इंडियन पासपोर्ट एक्ट' 1967 से लागू हुआ है। तभी से पासपोर्ट प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल हो गया है। उससे पहले पासपोर्ट प्राप्त करना काफी कठिन था। कुछेक लोगों को ही बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट मिलता था। पासपोर्ट धारक को विदेश जाने के लिए 'प्रोटैक्टर ऑफ एमीग्रेन्टस' अर्थात अप्रवासियों को संरक्षक से अनुमति प्राप्त करके उसकी मोहर लगवानी पड़ती थी।

इस मोहर का उद्देश्य था पासपोर्ट धारक विदेश जाकर किसी प्रकार से परेशान तथा शोषित न हो तथा केवल सक्षम व्यक्ति ही विदेश जाएं। इस प्रावधान को सन् 2007 में बदलकर 'एमीग्रेशन चौक नॉट रिक्वायरड' पासपोर्ट पर अंकित करना शुरू हो गया। इसके लिए भी कुछ खास शर्तें हैं। इनका उद्देश्य भारतीयों को विदेश में संरक्षण देना, सुनिश्चित करना था परन्तु पासपोर्ट धारकों ने इस प्रक्रिया को मात्र एक औपचारिकता के रूप में लिया तथा उसका मूल उद्देश्य दरकिनार कर दिया। विदेश जाकर वहां बसने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कानूनी ढंग से बात करें तो पढ़ाई के लिए वीजा प्राप्त करके पढ़ाई पूरी करके अन्य औपचरिकताएं व कागजात पूरे करके विदेश में बसने की इजाजत लेना अमरीका सहित कई अन्य देश वहां बसे अप्रवासी भारतीयों के परिवारों के सदस्यों को वहां पहुंचाने की इजाजत देते हैं। इसे 'फैमिली पटीशन' कहा जाता है। इस प्रक्रिया में संबंध की निकटता के आधार पर कम या ज्यादा समय लग सकता है।

विदेशी लड़के–लड़की के साथ शादी करके भी जाया जा सकता है। विदेश घूमने के लिए भी वीजा का प्रावधान है। अमरीका जाकर बसने, वहां का स्थायी निवासी बनने तथा 'ग्रीन कार्ड' प्राप्त करने के लिए एक 'इन्वैस्टमैंट वीजा ई–बी 5' का भी प्रावधान सन 1990 से चला आ रहा है। इसके लिए 8 लाख अमरीकन डालर का निवेश करना होता था। उस समय अमरीकन डालर की कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले 17 रु. थी। अब अमरीका के नव–निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे बदलकर नया रूप 'गोल्ड कार्ड' दे दिया है। इसके लिए 50 लाख अर्थात 44 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी हो गया है। इसमें पति–पत्नी सहित 21 वर्ष से कम बच्चों को भी स्थायी तौर पर रहने की अनुमति है। कुछ लोग विदेश में बसने के लिए 'विजिटर वीजा' प्राप्त करने के पश्चात वहां जाकर वापस नहीं आते किसी प्रकार वकील आदि का सहारा लेकर वर्क परमिट बनवाकर या वहां के निवासी से शादी करके मामले को लम्बी प्रक्रिया में डाल देते हैं।

अनपढ़ व्यक्ति भी पैसे के सहारे किसी लड़की को 'आईलैट्स' के 'स्कोर' के सहारे विदेश की 'पी.आर.' (स्थायी निवासी) लेकर वहां भेज देते हैं, यह सोचकर कि वहां जाकर वह लड़के को बुला लेगी परन्तु इसमें से अधिकतर लड़कियां, विदेश की चकाचौंध, स्वतंत्रता या फिर किसी विवशता के कारण, अपने सभी वायदों व उसूलों को ताक पर रखते हुए लड़के के साथ धोखा करती है तथा उसे भूल जाती है। विदेश में किसी अन्य के साथ घर बसा लेती है तथा भारत में बैठा लड़का ठगा–सा महसूस करता है। मारे शर्म के अपना मुंह भी नहीं खोलता। ऐसा अक्सर हो रहा है।गैर–कानूनी ढंग से विदेश जाने की प्रक्रिया में 'डंकी रूट' भी आता है। ऐसा करना, 'सिर हथेली पर रख कर चलने' के समान होता है। ऐसा वह लोग करते हैं जिनके सिर पर विदेश जाने का भूत सवार होता है तथा जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती।

एजैंटों द्वारा गुमराह किए गए व सब्जबाग दिखाए गए यह युवक 'जिंदगी गंवाने वाले जोखिम भरे हालातों से जूझने को विवश हो जाते हैं।'इस प्रक्रिया में विदेश जाने वाले अपनी मां–रूपी जमीन के एकड़ (किल्ले) बेच देते हैं, उच्च ब्याज दर पर कर्ज उठाते हैं। मकान, जायदाद, जमीन, गहने या तो गिरवी रखते हैं या बेच ही देते हैं। ऐसा कल के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत किया जाता है परन्तु वह भूल जाते हैं कि विदेश जाकर हर प्रकार की तंगी काटकर अपनों से दूर रहकर 5–7 सालों बाद जो थोड़ा–बहुत पैसा वह जमा करके लाते हैं, उससे रुपए के अवमूल्यन, मुद्रास्फीति तथा महंगाई के दृष्टिगत इतना कुछ भी नहीं बन पाएगा जितना वह बेचकर विदेश गए थे। जमीन के किल्ले (एकड़) बेचने वाले पशुओं के कीले (खूंटे) गढने में भी असमर्थ हो जाएंगे। अपनों को प्रौढ़ या बूढ़ा हो चुका पाएंगे या फिर भगवान को प्यारे हो चुके।

स्वदेश व विदेश का अंतर हमें इस बात से समय लेना चाहिए कि हाल ही में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गैर–कानूनी अवैध अप्रवासियों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है तथा उन्हें निर्वासित कर रहे हैं। भारत में भी ऐसे लोग वापस भेजे जा रहे हैं जो अमरीका में गैर–कानूनी ढंग से रह रहे हैं तथा जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं। कोई भी देश, भारत भी, गैर–कानूनी ढंग से रह रहे विदेशियों को घुसपैठिया, जासूस या अपराधी के रूप में देखता है तथा यथासंभव उनको उनके देश वापस भेजने का प्रयास करता है। ऐसा अनेकों वर्षों से होता आया है। ट्रम्प भी यही कुछ कर रहे हैं। अब तक चार जहाज भरकर, भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। परन्तु ऐसा करते हुए अपनाए गए ढंग अमानवीय हैं तथा निंदनीय हैं। अपने को मानवाधिकारों का संरक्षक कहने वाला अमरीका खुद मानवाधिकारों का हनन कर रहा है।

नई व्यापार रणनीति से मुकाबले की कोशिश

–डॉ. जयंतीलाल भंडारी–

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा और मैक्सिको पर 25 फीसदी और चीन के आयात पर भी 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी किए जाने के बाद इन देशों ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं। इससे नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अब भारत भी टैरिफ वृद्धि के मद्देनजर अमेरिका के निशाने पर है। जहां भारत में अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल, दवाई, ऑटोमोबाइल, इस्पात, एल्युमीनियम और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में चिंताएं हैं, वहीं हमारे शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के दौर में हैं।

ऐसे में भारत अमेरिका के लिए उपयुक्त टैरिफ रियायतों की नई रणनीति के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की ट्रंप की टैरिफ मार से मुकाबला करने को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह भी है कि जहां अमेरिका से निर्मित टैरिफ चुनौतियों के बीच अब भारत को निर्यात के नए मौके मिलने की उम्मीद है, वहीं ट्रंप की नीति से भारत को चीन प्लस वन के रूप में दुनिया के वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलते हुए दिखाई दे सकेगा। चार मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का हर देश भारत के साथ आर्थिक कारोबारी साझेदारी मजबूत करना चाहता है। हमारे उद्योग–कारोबार क्षेत्र को नए मौके हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

दरअसल, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति के कारण दुनिया में तेजी से आर्थिक और कारोबारी उठापटक चल रही है। नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। वैश्विक व्यापार नए सिरे से दोबारा स्थापित होने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन अब मुख्य स्तम्भ के रूप में नहीं बचा है और सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे के तहत गैर–भेदभावपूर्ण शुल्क खत्म हो रहे हैं। ऐसे में भारत ने रणनीतिपूर्वक एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले वर्ष 2025–26 के बजट में अमेरिका से आने वाली वस्तुओं जैसे महंगी मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे कुछ सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। साथ ही मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की ऐसी नई रणनीति पर आगे बढ़ा है, जिसमें मित्र देशों को पर्याप्त रियायतें भी हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में विगत 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग (ईयू) की प्रेसिडेंट उर्सला वोन लेयेन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी किंतु–परंतु को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत–ईयू व्यापार समझौते पर इस वर्ष 2025 के अंत तक मुहर लगाई जाए। उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के दौरान द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। पिछले माह फरवरी में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के व्यवसाय व कारोबार मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स ने कहा कि व्यापारिक समझौते का उद्देश्य पांच से छह वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को तीन गुना करना है। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार व निवेश समझौते को इसी साल 2025 में पूर्ण किए जाने के मद्देनजर भी भारत ने रणनीति तय की है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन इन तीनों का भारत के कुल द्विपक्षीय वैश्विक कारोबार में एक–तिहाई से भी ज्यादा का हिस्सा है। निश्चित रूप से इस समय ट्रंप के टैरिफ तूफान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की ऐसी डगर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने तीसरे कार्यकाल से ही लगातार आगे बढ़ाना शुरू किया है।

निस्संदेह, अमेरिका के टैरिफ वार के मुकाबले के लिए भारत की नई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं भारत का एक असरकार हथियार है। भारत के लिए ट्रंप की चुनौतियों के बीच वैश्विक कारोबार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। एक ओर अमेरिका में भारत के निर्यात बढ़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत को वैश्विक निर्यात में भी बढ़त मिल सकती है। अब चीन पर अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाने से जिन क्षेत्रों में चीन अमेरिका को प्रमुखता से निर्यात करता है, उनमें से कई क्षेत्रों में अमेरिका को भारत अपना निर्यात सरलता से बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल फोन, फुटवीयर, टेक्सटाइल और गार्मेंट्स, फर्नीचर और घर के सजावटी सामान, वाहनों के कल पुर्जे, खिलौने और रसायन आदि शामिल हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 2025–26 के बजट में स्वीकृत किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अहम भूमिका निभाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के रुख और नीति से भारत को चीन प्लस वन के रूप में दुनिया के वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चीन में मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां भी भारत का रुख कर सकती हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की रणनीति की तर्ज पर भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाकर घरेलू उद्योग कारोबार और अर्थव्यवस्था को तेजी से बेरोकटोक आगे बढ़ाने के मौके को मुट्ठी में ले सकते हैं।–लेखक अर्थशास्त्री हैं।

कांशीराम की विरासत और मायावती की सियासत

–निर्मल रानी–

1980 के दशक में बसपा प्रमुख कांशी राम पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय समाज को 85 रू 15 का जनसँख्या अनुपात समझाते थे और यह बताते थे कि 15 प्रतिशत कथित उच्च जाति के लोग शेष 85 प्रतिशत जातियों व समुदायों के लोगों पर राज कर रहे हैं। और तभी यह नारा प्रचलित हुआ था – वोट हमारा,राज तुम्हारा – नहीं चलेगा,नहीं चलेगा। जैसे जैसे कांशी राम के नेतृत्व में यह बहुजन आंदोलन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मनुवाद तथा सनातन व्यवस्था में उल्लिखित वर्ण व्यवस्था पर इनका आक्रमण और तेज होता गया। यहाँ तक कि श्तिलक,तराजू और तलवार जैसा श्अभद्र नारा भी उन्हीं दिनों में खूब प्रचलित हुआ। यही वह आंदोलन था जिसमें दलित पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जुड़ते चले गये। यानी कांग्रेस का परम्परागत वोट बैंक धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गया। इसी बीच कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी नामक एक नये राजनैतिक दल की स्थापना कर दी। उसी दौरान कांशी राम की भेंट मायावती से हुई जोकि उस समय कक्कालत व बी एड करने के बाद दिल्ली इंद्रपुरी स्थित जेजे कॉलोनी में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत थीं और साथ ही सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थीं। तभी कांशी राम ने मायावती के तेज तर्रार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहा था कि – श्मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि आईएएस अधिकारियों की पूरी कतार तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी हो जाएगी।श तभी से वे कांशी राम के सहयोगी के रूप में उनके साथ प्रायः देखी जाने लगीं तथा उनके श्क्रन्तिकारी श व उत्तेजक भाषण भी लोगों को प्रभावित करने लगे।

कांशीराम का 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कांशीराम के जीवन के अंतिम दौर में उनकी विरासत को लेकर बसपा के भीतर तथा कांशीराम के परिजनों के द्वारा काफी विवाद भी खड़ा किया गया। परन्तु तेज तर्रार मायावती तब तक कांशी राम पर व उनकी विरासत रुपी बसपा पर पूरा नियंत्रण कर चुकी थीं। यही वजह थी कि बौद्ध धर्म के अनुसार हुये कांशीराम के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों ने नहीं बल्कि स्वयं मायावती ने ही उनकी चिता को अग्नि दी। अब पार्टी में उन्हें श्बहन जी श के नाम से बुलाया जाने लगा। कांशीराम के नेतृत्व में ही बीएसपी ने 1999 के संसदीय चुनावों में 14 संसदीय सीटें जीतीं थीं। मायावती को चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठने का भी सौभाग्य हासिल है। परन्तु यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस बसपा को कांशीराम ने एक मिशन के रूप में स्थापित किया था और कांशी राम के जिस मिशन से बड़े सामाजिक परिवर्तन की आहट महसूस हो रही थी, पार्टी पर मायावती का वर्चस्व होने के बाद वही मिशन,वही पार्टी अब सत्ता,वैभव,आत्ममुग्धता और परिवारवाद का शिकार होती नजर आने लगी। यहाँ तक कि केवल सत्ता हासिल करने के लिये बुनियादी विचारों से भी समझौता करने लगीं। जिस श्मनुवादी श व्यवस्था के विरुद्ध बसपा का जन्म हुआ था, 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसी ब्रह्मण समुदाय के समर्थन की जरुरत महसूस हुई तो तिलक,तराजू और तलवार जैसा नारा भी बदल गया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी, सर्वजन समाज की बातें करने लगी। और यह नया नारा लगा – हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। उस समय उत्तर प्रदेश में 37 प्रतिशत ब्राह्मणों ने पार्टी को वोट दिया था।

परन्तु चार बार देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद अन्य सत्ताधीशों की ही तरह मायावती भी अहंकार के साथ साथ परिवारवाद का भी शिकार होती चली गयीं। कभी अपने को जिंदा देवी बतातीं तो कभी अपने भाई व भतीजे के मोह में डूबती नजर आतीं। कभी अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़तीं तो कभी उनपर पार्टी का टिकट बांटने में लोगों से करोड़ों रूपये वसूलने का आरोप लगा। हद तो यह कि अपने जीवनकाल में ही मायावती ने बाबा साहब आंबेडकर व कांशी राम के साथ ही अपनी भी प्रतिमायें लगवा डालीं। जिसतरह कांशी राम को अपने परिवार से अलग उत्तराधिकारी के रूप में मायावती नजर आयी थीं उस तरह मायावती को परिवार से बाहर अपनी पार्टी का कोई योग्य नेता नजर ही नहीं आया। और आखिरकार मायावती के इन्हीं स्वार्थपूर्ण फैसलों के चलते उनकी पार्टी का जनाधार घटता चला गया। पिछले लोकसभा चुनावों से पूर्व जब इण्डिया गठबंधन वजूद में आया तो मायावती उस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनीं। उसी समय यह अंदाजा लगाया जाने लगा था कि मायावती भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रही हैं। इसके पीछे के कारणों से भी अनेक राजनैतिक विश्लेषक बखूबी वाकिफ हैं। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने मायावती पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि यदि बीएसपी श्इंडियाश गठबंधन में होती तो पिछले वर्ष हुये लोकसभा चुनावों में एनडीए की जीत नहीं होती। इस आरोप से तिलमिला कर मायावती ने कांग्रेस को ही बीजेपी की श्बीश टीम बता डाला। जबकि देश देख रहा है कि इस समय देश में सत्ता,भाजपा व संघ के विरुद्ध जितना राहुल गाँधी मुखर हैं उतना कोई नहीं जबकि मायावती के रवैये से तो पता ही नहीं चलता की वे विपक्ष में हैं या सत्ता के साथ ?

सच तो यह है कि मायावती के नेतृत्व में बसपा का न केवल समाज में प्रभाव कम होता जा रहा है बल्कि संगठन भी बिखराव के दौर से गुजर रहा है। पिछले दिनों जिसतरह उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक समेत सभी मुख्य पदों से हटा दिया और दो दिन बाद ही उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया उससे भी यही सन्देश गया कि मायावती को अपने परिवार के बाहर भी कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आया और जिस भतीजे को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी बनाया भी उससे भी जल्द ही पीछा छुड़ा लिया ? इस तरह के ढुलमुल फैसलों का प्रभाव निश्चित रूप से पार्टी पर जरूर पड़ेगा। सच तो यही है कि कांशी राम की विरासत के रूप में मिले व्यापक जनाधार वाले राजनैतिक दल को मायावती की तर्ज–ए–सियासत के चलते काफी नुकसान हुआ है।

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर

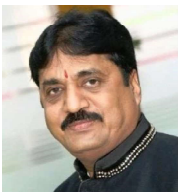

– ललित गर्ग–

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े दो अलग–अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वही एक संतुलित एवं आदर्श समाज व्यवस्था का आधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े इन मामलों में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। मंगलवार को 'मियां–टियां' और 'पाकिस्तानी' शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुकदमे के आरोपी को इस आधार पर आरोप–मुक्त कर दिया कि यह भारतीय दंड सहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। वैसे, अदालत ने इन शब्दों के प्रयोग को गैर–मुनासिब माना। एक दूसरे रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में अश्लीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार–सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अश्लीलता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में आने देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को पॉडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता और अश्लीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल इन 'मियां–टियां' और 'पाकिस्तानी' जैसे शब्दों से जुड़े मुकदमे को निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय करने में लगभग चार साल लगे, मगर दोनों पक्षों ने किसी पड़ाव पर यह समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं की कि यह सिर्फ अहं की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मायने रखती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को कविता पढ़नी चाहिए थी। कविता नफरत और हिंसा की नहीं, इंसाफ और इश्क की बात करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो पुलिस को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं न्यायसंगत है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों एवं समुदाय विशेष के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही है, ऐसी जटिल स्थितियों में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा?

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मौकों पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लम्बी बहसें हो चुकी हैं, आन्दोलन तक हुए, हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना। हर बार अदालतें पुलिस को नसीहत देती हैं, अपने दखल से समझ एवं सीख भी देती है ताकि संतुलित वातावरण बना रहे। मगर शायद उस पर संजीदगी एवं संवेदनशीलता से अमल की जरूरत न तो पुलिस ने समझी और न उग्र एवं विध्वंसक शक्तियों ने। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने एवं विभिन्न समुदायों के आपसी सौहार्द–सद्भावना के खण्डित होने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बेवजह नफरत, द्वेष एवं घृणा का माहौल बनता रहा है, चाहे वह फिल्मों के दृश्यों–संवादों, किसी राजनेता के बयानों, धर्मगुरुओं के बोलों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप किसी ऐतिहासिक–मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर लगते रहे हों।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू–ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र–विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़–फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र–हनन और गाली–गलौच जैसी ओछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें।

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विभिन्न समुदायों का विचलन, द्वेष एवं नफरत काफी बढ़ी हुई दिख रही है। शासन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कोशिशों में भी अक्सर अति–उत्साह की झलक देखने को मिलती है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रहे पांच जालसाज गिरफ्तार, वसूली जाएगी सैलरी

संवाददाता–श्रावस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग ने छह फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया। तत्परता दिखाते हुए बीईओ हरिहरपुरारानी, जमुनहा व सिरसिया ने केस दर्ज कराया। अगले ही दिन पुलिस टीम ने पांच शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी होते ही एक शिक्षक फरार हो गया। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं। इन नियुक्तियां में फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी भी हुई। कई शिक्षक अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।

इस बार डीएम अजय कुमार द्विवेदी व एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर तत्परता दिखाते हुए बीएसए अजय कुमार ने चार मार्च को छह शिक्षकों की सेवा समाप्ति की। उसके बाद पांच मार्च को बीईओ हरिहरपुरारानी अमित कुमार, जमुनहा सतीश कुमार व सिरसिया राजकिशोर की तहरीर पर संबंधित थानों में केस दर्ज किया गया।

कानपुर देहात के ईश्वरचंद नगर थाना भोगनीपुर निवासी आलोक कुमार गुप्ता उर्फ किशन गुप्ता जो 2017 से सहायक शिक्षक के पद पर सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय बल्दीडीह में तैनात थे। छह मार्च को त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उच्च प्राथमिक विद्यालय भिनगा के सामने से गिरफ्तार किया।

कानपुर नगर के ग्राम इस्माइलपुर निवासी प्रदीप कुमार पुत्र लालजी जो सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय केशवपुर में 2017 से सहायक शिक्षक के पद पर व कानपुर देहात के तहसील भोगनीपुर के ग्राम भोगीसागर निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र राम औतार 2017 से सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक विद्यालय कोयलहवा सिरसिया में तैनात थे। दोनों फर्जी शिक्षकों को पुलिस टीम ने क्रमशरू प्राथमिक विद्यालय कोयलहवा व प्राथमिक विद्यालय केशवपुर के मुख्य द्वार से गिरफ्तार किया।

बस्ती जिले के रामपुर तप्पा कनैला थाना कलवारी निवासी उमेश कुमार मिश्र पुत्र प्रेम चंद्र की नियुक्ति 2013 में गिलौला के प्राथमिक विद्यालय बैभी में हुई थी। वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय असनहरिया हरिहरपुरारानी में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। पुलिस टीम ने कंपोजिट विद्यालय असनहरिया के पास से गिरफ्तार किया।

कानपुर देहात के ग्राम परेहरा पुर निवासी सुशील कुमार पुत्र रामसजीवन 2017 से जमुनहा के प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरवा में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। पुलिस टीम ने हरदत्तनगर गिरंट थाना के कटवा तिराहा से गिरफ्तार किया। जबकि बस्ती जिले के ग्राम थान्हा तहसील हर्रैया निवासी संदेश श्रीवास्तव जो जमुनहा के प्राथमिक विद्यालय अहिरन देवरा में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे, जो भनक लगते ही मौके फरार हो गया।

सहायक शिक्षक के पद पर सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय बल्दीडीह में तैनात आलोक कुमार गुप्ता उर्फ किशन गुप्ता को विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाने की जिम्मेदारी भी मिली थी। अतिरिक्त कक्षा कक्ष का ध्यान आहरण भी उन्होंने कर लिया था। इस पर बीएसए ने बताया कि वेतन के साथ ही एसीआर के धन की रिकवरी भी की जाएगी। विभागीय जांच होने में 12 वर्ष से अधिक का समय बीत गया। गिलौला के प्राथमिक विद्यालय बैभी में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हुए उमेश कुमार मिश्र पदोन्नति पाकर हरिहरपुरारानी के उच्च प्राथमिक विद्यालय असनहरिया पहुंच गए। इस दौरान विभाग को टेट अंक पत्र के फर्जी होने की भनक भी न लग सकी।

ये देश महराणा प्रताप, शिवाजी जैसे वीरों का औरंगजेब का बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण –धीरेंद्र शास्त्री

संवाददाता–कुशीनगर। हिंदू समाज जागृत हो रहा है। इसके चलते हिंदुओं की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। पुनरू प्राचीन संस्कृति का ध्वजा पताका विश्व में फहराएगा। अब हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र बन कर रहेगा।

बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले स्थित भोरे में आयोजित श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार में जाने के लिए बृहस्पतिवार को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन से उतरे के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि कुशीनगर ज्ञान और तप की धरा है। इसका कण–कण पवित्र है। उन्होंने कहा कि कथा के आयोजन का उद्देश्य बिहार वासियों में सनातन का प्रचार करना। हर हाल में हिंदू मजबूत हो। हिंदू कटे न, हिंदू बंटे न। यही

उद्देश्य लेकर जीवन जी रहा हूं। उसी जीवन यात्रा के क्रम में यहां आना हुआ है। बिहार से मेरा पुराना नाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में सभा के विधायक अबू आसिम आजमी के मुस्लिम शासक औरंगजेब को महिमा मंडित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस देश में छत्रपति शिवाजी की वीर गाथा गाई जाए, छत्रपति सम्भा, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की चर्चा हो, वहां औरंगजेब जैसे व्यक्ति की प्रशंसा हो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता।

देश की बयार बदल रही है। देश की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। एक–एक करके सब चुकेगा। निश्चित रूप से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा–पताका फहराएगा।

हत्या का आरोप लगाकर दो बार जाम की सड़क

संवाददाता–महराजगंज। सिसवा क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर भुजौली वार्ड स्थित रेलवे क्रॉसिंग से करीब दो सौ मीटर दक्षिण की तरफ संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। हादसे में मौत मानने को लोग तैयार नहीं थे और साजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर दो बार सड़क जाम की। पुलिस ने किसी तरह समझा–बुझाकर जाम समाप्त कराया। सिसवा के लक्ष्मीबाई नगर लोहेपार निवासी प्रमोद यादव का शव रेल ट्रैक पर मिला था। लोगों का कहना है कि उनकी हत्या कर शव को दुर्घटना का रूप देने के लिए रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया। इसकी जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोपहर करीब दो बजे गुस्साए वार्डवासियों ने थोड़ी देर के लिए सिसवा–घुघली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव आने पर लोग आक्रोशित हो गए। शव को सड़क पर रखकर दुबारा जाम लगा दिया। करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने समझा–बुझाकर जाम को समाप्त करा दिया है। हालांकि स्थिति सामान्य है लेकिन एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात है।

प्रमोद यादव की बड़ी बेटी नेहा का द्विरागमन कार्यक्रम पहले से तय था और उसकी विदाई गुरुवार को ही होनी थी। सब तैयारियां हो चुकी थीं। प्रमोद भी बुधवार की रात तैयारियों को करने के बाद खाना खाने जा रहे थे कि किसी का फोन आने पर कहीं चले गए। रात 11.20 बजे पुलिस के फोन से परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस के इस फोन के बाद पहुंचे परिजनों ने प्रमोद की शिनाख्त की।

दुष्कर्म व पाक्सो में एक को बीस वर्ष का सश्रम कारावास

संवाददाता–बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी के अपहरण, रेप व पाक्सो के मामले में दोषसिद्ध युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 80 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रिसिया थाने के एक गांव निवासी किशोरी को मोतीपुर थाने के बड़ा दरोगा पुरवा से रिश्तेदारी में आया युवक सोनू 2 मार्च 2016 को अपहरण कर लिया था। किशोरी के पास 27 हजार की नगदी व सोने व चांदी के शरीर पर कीमती जेवर भी है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों संत प्रताप सिंह ने बताया कि मोतीपुर इलाके के युवक का रिश्तेदार के घर आना – जाना था। इस मामले में किशोरी के पिता ने 5 मार्च 2016 को रिसिया थाने में सोनू व उसके कई रिश्तेदारों के विरुद्ध तहरीर दी। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह व सुरेन्द्र कुमार मौर्या ने बताया कि पुलिस ने अपहरण, रेप व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। रिसिया थाने के विवेचक ने विवेचना व साक्ष्य संकलन के बाद सोनू नाऊ के विरुद्ध अपहरण, रेप व पाक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने प्रकरण के विचारण को शुरू किया।

गवाहों के बयान दर्ज होने दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत अपहरण, रेप व पाक्सो एक्ट मामले में दोषसिद्ध सोनू को 20 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर अस्सी हजार का जुर्माना ठोका है। न्यायाधीश ने सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया।

दो दुर्घटनाओं में दो मजदूरों ने तोड़ा दम

संवाददाता–श्रावस्ती। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो मजदूरों से दम तोड़ दिया। एक मजदूर के परिजनों ने तहरीर देकर भट्ठा मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बनकटवा निवासी तिलकराम (45) खरगौरा मोड़ के पास एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। बुधवार को भट्ठे से बनकटवा निवासी चालक सुनील ट्रैक्टर ट्राली पर ईंट लेकर इकौना थाना क्षेत्र के सेमरी तरहर के नारायनजोत गया था। बताया जाता है कि ईंट लादने व उतारने के लिए मजदूर तिलक राम भी उनके साथ गया था। नरायन जोत से देर रात लौटते समय तिलक राम रास्ते में अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। इससे तिलकराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक शव ट्राली में रख कर ईंट भट्ठे पर आ गया। गुरुवार सुबह सूचना पर पहुंची भिनगा कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया है।

इसी तरह से गिलौला थाना क्षेत्र के कोट मुबारकपुर निवासी राम सुहावन पुत्र राम अवतार उम्र करीब 32 वर्ष इसी थाना क्षेत्र के रायडीह से राजापुरखुर्द से मिक्सर मशीन पर बैठ कर घर आ रहा था। सड़क में गड्ढे होने के कारण राजापुर खुर्द गांव के समीप मिक्सर मशीन से नीचे गिर गया। इसके बाद मिक्सर मशीन का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। इससे राम सुहावन गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने पर गिलौला थानाध्यक्ष जय हरि मिश्रा दल बल के साथ सीएचसी गिलौला पहुंचे और शव को थाने पहुंचा दिया। गुरुवार सुबह पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खलिहान की जमीन पर बने मदरसे को बुलडोजर से ढहाया

संवाददाता–बहराइच। मटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुलबुल नेवाज में खलिहान की जमीन पर बने मदरसे को गुरुवार बुलडोजर से ढहा दिया गया। हाईकोर्ट लखनऊ के आदेश पर कार्रवाई की गई है। मदरसा ढहाने के दौरान तहसील व भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। जिसके चलते किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया गया। नानपारा तहसील के मटेरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बुलबुल नेवाज गांव में मदरसा संचालित हो रहा था। खलिहान की सरकारी जमीन पर मदरसा निर्माण कराया गया था। 30 साल से सरकारी जमीन पर बने मदरसे के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रशासन स्तर पर लगातार शिकायतें की जा रही थी। पुलिस व प्रशासन भी मदरसा पर कार्रवाई को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहा था। इस पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में वाद दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने अभिलेखों के साक्ष्यों के आधार पर मदरसे के गलत निर्माण होने पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को नानपारा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, थानाध्यक्ष मटेरा के अलावा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मदरसा पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दिया गया। तीन घंटे के अंदर मदरसे के भवन को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर अमल कराने को लेकर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम के मदरसा गिराने की खबर पर आसपास से लोग एकत्र होने लगे। भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सतर्क रही। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। पुलिस की सक्रियता के चलते लोग पूरी तरह से शांत रहे।

अंबिका प्रसाद चौधरी, तहसीलदार ने कहा कि गांव निवासी रफीक ने लखनऊ हाई कोर्ट में वाद दायर किया था। जिसमें खलिहान की जमीन पर मदरसा बनाए जाने की शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश पर मदरसा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है।

रोजेदार पड़ोसियों और रिश्तेदारों का रखें ख्याल –मौलाना रजीउद्दीन

संवाददाता–गोण्डा। मुकदस रमजान के पांचवें रोजे के दिन बड़ी संख्या में मुसलमानों ने विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। पूरे दिन हर नमाज के बाद कुरआन की तिलावत से मस्जिदें गूंजती रही। उलेमा का कहना है कि रोजेदारों को माहे रमजान में जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। इसके बदले अल्लाह तआला बशुमार बरकतें अता फरमाता है। ऐसे में मदद के लिए जरूर आगे जाना चाहिए। जुमा मस्जिद के इमाम मौलाना रजीउद्दीन ने बताया कि रोजेदारों को चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों में उन लोगों का भी ख्याल रखें जो कि गरीबी की वजह से रमजान में परेशान नजर आते है। गरीब की मदद करना हम पर लाजिम है। कहा कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मुहम्मद अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च किया करते थे। साथ ही सहाबा से भी ऐसा करने को कहा करते थे। मौलाना ने कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल बढ़ता है। उन्होंने कहा रोजा खास अल्लाह के लिए रखा जाता है। इसका बदला इंसान को अल्लाह ही देगा। रमजान के तीस दिन हमें तमाम बुराइयों को छोड़ कर खुदा के हुक्म के मुताबिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। कई मस्जिदों में पांच पारे की तरावीह मुकम्मलरू मदरसा गरीब नवाज मस्जिद सहित शहर के कई मस्जिदों में पांच पारे की तरावीह मुकम्मल हो गई। यहां तरावीह मुकम्मल होने के बाद मुल्क की तरक्की और अमन चौन की दवाएं मांगी गई। इन मस्जिदों में अब आगे भी कम पारो की तरावीह जारी रहेगी। जो रमजान के पूरे महीने चलेगी। मौलाना मुजक्किर ने कहा कि रमजान में एक कुरान सुनना वाजिब है अगर आप की तरावीह मुकम्मल हो गयी है फिर भी आप को मस्जिद में पूरे महीने तरावीह का एहतमाम करना है।

चोरी की 7 वारदात का खुलासा, 4 गिरफ्तार

संवाददाता–गोण्डा। करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने–चांदी के आभूषण, एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक चाकू और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है।

एसओजी और करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने कर्नलगंज के एक सर्राफा व्यापारी को भी में चोरी की घटनाओं को लेकर के हिरासत में लिया था। लेकिन पूछताछ करने के बाद सर्राफा व्यापारी को पुलिस ने छोड़ दिया है।

पकड़े गए आरोपियों में रामसूरत चौहान, जीतेंद्र कुमार चौहान, मोहम्मद सगीर और अशोक शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें चौरी चौराहे के पास बटौरा बाबा के बगल स्थित बाग से गिरफ्तार किया। पूछताछ में

आरोपियों ने सात चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। आरोपियों ने 28 फरवरी को करनैलगंज के ग्राम चौरी में इन्टर्टर और बैट्री चुराई।

23 दिसंबर को मनकापुर आईटीआई परिसर से और 30 सितंबर को मनकापुर चीनी मिल परिसर से सोने–चांदी के गहने चुराए। 22 जनवरी को उमरीबेगमगंज के अलीपुर खंडेराय में दो घरों से गहने चोरी किए। इसके अलावा 25 जनवरी को कोतवाली नगर के चंदू बाबा मंदिर के पास एक घर से और 29 जनवरी को परसपुर के जग्गेपुरवा डेहरास से भी गहने चुराए।

24 सितंबर को करनैलगंज के मलौना प्राथमिक विद्यालय से दो टैबलेट की चोरी की। आरोपी चोरी के गहनों को नेपाल ले जाकर बेच देते थे और रुपयों को आपस में बांट लेते थे।

तीन ब्लॉकों में 29 करोड़ से विकास कराने को मंजूरी

संवाददाता–गोण्डा। जिले के तीन ब्लॉकों में गुरुवार को हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक में 29 करोड़ रुपये से विकास कराने की कार्ययोजनाओं को स्वीकृति दी गई। रुपईडीह में 20 करोड़, तरबंगंज में पांच करोड़ तथा कटराबाजार में चार करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी मिली। कटरा बाजार में आयोजित बैठक में कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि कटरा ब्लॉक विकास कार्य पहले भी एक नंबर पर था, आज भी है ओर आगे भी रहेगा। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि विकास कार्यों की श्रेणी में हमारा जिला पहले पायदान पर रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र ने बताया कि क्षेत्र पंचायत विकास कार्यों की धुरी है इसमें हमारा भी सहयोग रहेगा। खंड विकास अधिकारी राम लगन वर्मा ने सदन पटल पर बैठक का एजेंडा रखा। चर्चा के दौरान झौनहा गांव की प्रधान पुष्पा मौर्य व गौरिया की प्रधान शमा सिंह ने पेंशन सहित अन्य मुद्दे उठाए जिसका संबंधित अधिकारियों ने समाधान किया। बीडीओ ने बताया कि सदस्यों ने चार करोड़ रुपयों की विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इसमें पंद्रहवें वित्त आयोग से एक करोड़ 75 लाख व पंचम वित्त आयोग से दो करोड़ 25 लाख रुपयों की पचास परियोजनाएं शामिल हैं। प्रस्तावों में नाली, इंटर लॉकिंग, खड़ंजा व पुलिया सहित अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। बैठक में भाजपा नेता भवानी भीख शुक्ल, राजाराम मिश्र, संजीव सिंह, उमापति त्रिपाठी, जसवंत लाल सोनकर, श्रवण कुमार तिवारी, बिपिन तिवारी, पवन सिंह, भूप सिंह, अशोक सिंह, दद्दन पाठक सहित क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान शामिल रहे।

ब्लॉक सभागार में गुरुवार को आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह ने की। विकास पर चर्चा करते हुए करीब 20 करोड़ की कार्ययोजना पास की गई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सूरज सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि करीब 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य क्षेत्र में कराए जा चुके हैं। शेष काम कराए जा रहे हैं।

खंड विकास अधिकारी रुपईडीह अभय कुमार सिंह ने कहा कि प्लान बनाकर ही सरकारी योजना के जरिए विकास किया जा सकता है। उन्होंने सदस्यों से क्षेत्र पंचायत की बैठक में तैयारी के साथ आकर जरुरत के मुताबिक विकास कार्यों के प्रस्ताव देने की बात कही। इस मौके पर प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विवेक शुक्ला, अमित अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य अमर सिंह, सरवन शुक्ला, हनुमन्त लाल मिश्रा, संतोष कुमार पांडेय, आजम खान, कृष्ण प्रसाद मिश्रा,राहुल शुक्ला, माधवराज सोनी, रिंकू मिश्रा डॉ देवानंद शुक्ला, राधेश्याम मिश्रा, रवि मिश्रा, राजेश सोनी, अनिल पांडे, धनुषधर पांडे,रमेश चौरसिया, अमरजीत, अजीत चौधरी, यमुना प्रसाद, मोहन कुमार मंगलम, मालिक राम आदि रहे।

ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडेय की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत तरबगंज की बैठक संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि डीजीसी क्रिमिनल बसंत शुक्ला व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य विनोद पांडे रहे।

बैठक में राज्य वित्त 15वां वित्त योजना अंतर्गत तीन करोड़ व मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश की ढाई करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी गई। बैठक में आवास सर्वे, मनरेगा, किसान सम्मन निधि, वृद्धा, विधवा, विकलांग की पेंशन, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं व पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बीडीओ रवि कुमार गुप्ता, एडीओ आईएसबी अमरीश कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष कमलेश पांडेय, जिला पंचायत सदस्य अष्टभुजा मिश्र, मोनू तिवारी प्रधान टकटोना, प्रधान संघ के अध्यक्ष लालजी सिंह, आरडी तिवारी, संगीता सिंह, नीलम, विशाल पाठक, रामचंद्र मिश्रा, गुड्डू सिंह, अयोध्या तिवारी क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुन मंत्र मुग्ध हुए श्रद्धालु

–भारतीय बस्ती संवाददाता– अयोध्या। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम के राघवधाम खड़ेश्वरी मंदिर में बह रही श्री राम कथा कि अमृत गंगा। श्री राम कथा का आयोजन पठानकोट वाले श्याम लाल बाबा कर रहे हैं और श्री राम कथा की अमृत रसधार वृंदावन के सरस सरस कथावाचक आचार्य स्वामी राजेश्वरानन्द के मुखारविंद से बरस रही है। नव दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ 3 मार्च को किया गया और आज चौथे दिन की कथा में भगवान श्री राम के जन्म विस्तार से वर्णन करते हुए व्यासपीठ से जैसे ही महाराज जी ने भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का गान किया परिसर में उपस्थित संत महंत श्रद्धालु भक्तगण, प्रेम मई गंगा के आनंद में हिलोरे लेते हुए झूमने लगे पूरा वातावरण जन्म मत हो गया और ऐसा पति हो रहा था कि त्रेता युग की नवमी तिथि आज ही हो और पूरा राघव धाम खड़ेश्वरी मंदिर राम मय हो गया। इसके पूर्व श्री महाराज जी ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के जन्म के चार कारण बताएं और उन्होंने कहा कि पार्वती को श्रीराम कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं कि जब–जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे कई तरह की अनीति करते हैं, ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी वासियों को कष्ट देते हैं, तब–तब वे कृपानिधान प्रभु भांति–भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं,वे असुरों को मारकर सत्य को स्थापित करते हैं,वेदों की मर्यादा की रक्षा करते है और श्री रामचन्द्रजी के अवतार का यही कारण है। श्री महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री राम के जन्म के कारण में नारद जी का श्राप और मनु शतरूपा का भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी है,यद्यपि परमात्मा के आने के मुख्य कारण तो भक्त है। भगवान भक्तों के लिए धरा धाम पर पधारते है और ब्रह्म का सरलीकरण इस अयोध्या में ही हुआ है जो असीम ब्रह्म माता कौशल्या के गोद में आ करके छोटा हो गया। उन्होंने बताया कि महाराज दशरथ जी एक दिन बहुत ग्लानि में थे गुरुदेव के पास जाकर उनकी चिंता मिट गई और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और प्रसाद रानियों में बटवा दिया जिसके परिणामस्वरूप निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार बनकर अयोध्या के इस पावन दिव्य धाम में प्रकट हुए। मूलतः परमात्मा भक्तों के भाव के लिए प्रकट होता है। जब भाव उदित हो जाते हैं तब परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। कथा में भगवान का भाव जन्मोत्सव मनाया गया और कथा के विश्राम बेला पर मुख्य यजमान आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया गया।

फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर डीएम सख्त, 870 कर्मचारियों का वेतन रोका

संवाददाता–गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने फार्मर रजिस्ट्री में धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग के 870 कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इनमें लेखपाल, पंचायत सहायक और रोजगार सेवक शामिल हैं। जिले की चार तहसीलों में फार्मर रजिस्ट्री का काम 50 प्रतिशत से भी कम हुआ है। सदर तहसील के 280, करनैलगंज के 169, तरबगंज के 227 और मनकापुर तहसील के 194 गांवों में यह स्थिति है। डीएम ने सभी कर्मचारियों को 10 मार्च तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि और अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। समय सीमा में काम पूरा न करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस सख्त कार्रवाई से संबंधित विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। अब सभी की नजरें 10 मार्च की समय सीमा पर टिकी हैं। डीएम ने निर्देश दिया है कि जिन भी ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति ठीक नहीं है वहां की रिपोर्ट को तत्काल ठीक किया जाए। अगर 10 मार्च के बाद प्रगति रिपोर्ट में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो माह की कैद

संवाददाता–श्रावस्ती। चाकू बरामदगी मामले में न्यायालय ने दोषी को दो महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2011 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने खोयलन उर्फ राकेश कुमार पुत्र सहजराम निवासी खानपुरवा कोतवाली भिनगा को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। जिसके विरुद्ध पुलिस ने शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

सीएम योगी के रहते आतंकी अयोध्या को छू भी नहीं सकते, हमें इसमें कोई संशय नहीं -अपर्णा यादव

संवाददाता–अयोध्या। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि योगी का नाम सुनते ही आतंकी डर जाते हैं इसलिए आतंकवादी अयोध्या नहीं पहुंच सकते। वहीं, सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ करने पर अपर्णा ने कहा कि औरंगजेब अबू आजमी के खुदा होंगे लेकिन भारत के आम मुसलमानों के औरंगजेब खुदा नहीं हो सकते।

दूसरी तरफ महाकुंभ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ की तारीफ यूनेस्को भी की है। कामाख्या धाम महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर पहुंची अपर्णा ने राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से लोग डरते हैं और राम मंदिर को आतंकी कभी छू भी नहीं सकता। जितने भी इस तरह के अराजक तत्व हैं, जितने गुंडे बदमाश हैं, आतंकवादी हैं वह सभी योगी जी के नाम से डर जाते हैं। हमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आतंकवादी अयोध्या नहीं पहुंच सकता। औरंगजेब की तारीफ करने पर अपर्णा ने अबू आजमी पर कहा कि औरंगजेब अबू आजमी के खुदा हो सकते हैं लेकिन मुसलमान भाइयों के नहीं। महाकुंभ की तारीफ में अपर्णा ने कहा कि महाकुंभ का बहुत ही सफल समापन हुआ है। कितने महाकुंभ हुए लेकिन जिस तरह से यह महाकुंभ हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे सनातन का बड़ा पर्व माना है। यूनेस्को ने भी कहा कि ये मानवता का महाकुंभ है। यह सबसे बड़ा महाकुंभ है। पीएम मोदी और सीएम योगी की सोच की वजह से आज हम सभी लोगों ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई है। दोनों लोगों के सामर्थ्य को प्रणाम करती हूं कि जिनकी वजह से सनातन धर्म का इतना विस्तार हुआ है।

शराब की तरह गेम का एडिक्शन खतरनाक–डॉ. प्रीती त्रिपाठी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।तेजी से बढ़ते आनलाइन गेम ने बच्चों को इंटरनेट गेमिंग डिस्ऑर्डर का शिकार बना दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक शराब या गांजा ब्रेन के जिस हिस्से को नुकसान करता है। उसी हिस्से को आनलाइन गेम का एडिक्शन भी नुकसान पहुंचाता है। जिसके चलते बच्चों के गेम खेलने से मना करने पर या तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वे अपना सारा गुस्सा अपने मां बाप पर उतारते हैं। पार्थिक मेंटल वेलनेस सेंटर की क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट प्रीती त्रिपाठी के अनुसार आनलाइन गेमिंग आजकल बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। समय रहते इस समस्या का समाधान है, पर दिक्कत यह है कि बच्चों को ओ.पी.डी मे अभिभावक तब लेकर आते है जब बच्चे को एडिक्शन के साथ ही अन्य बीमारियां भी घेर लेती है। गेमिंग एडिक्शन के चलते बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की कमी भी देखने को मिल रही है। डां.प्रीती त्रिपाठी का कहना है गेमिंग डिस्ऑर्डर लम्बे समय तक खेलने से बच्चे इसके आदती हो जाते है। गेम के अन्दर कंटेंट भी वायलेंस वाले होतें हैं। बच्चे गेम खेलने के अन्दर शूट करते हैं। ऐसे में शूट को लेकर उनके अन्दर कोई भावनात्मक लगाव

नही रहता है।

ये लक्षण दिखे तो हो जाये सावधान––बच्चा यदि चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा हो। सामाजिक लाइफ या दोस्तो से मुलाकात कम कर रहा हो। परिवार के साथ समय व्यतीत न करता हो। अकेलापन या उदास महसूस करता हो।

क्या करना चाहिए— छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल न दें।बच्चों पर नजर रखें, बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग न दें, इसमें मोबाइल से लेकर टीवी तक शामिल है। बच्चों को लत लगने से बचाने के लिए उसे समझाए। बच्चे को डांट फटकार न लगाए। समय रहते क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट से सम्पर्क करें। काउंसलिंग के माध्यम से इस प्रकार के लत को पूरी तरह से छुडाया जा सकता है।

अतिक्रमण हटाओं अभियान के तहत सैकड़ों कुंतल बिल्डिंग मटेरियल जब्त किया

संवाददाता–अयोध्या।अयोध्या के रामपथ पर अतिक्रमण करना अब लोगों को भारी पड़ेगा। खासकर उन लोगों को जो अवैध तरीके से रामपथ पर बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय करते हैं। बृहस्पतिवार को नगर निगम ने सहादतगंज से सिविल लाइन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि समय–समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है। बृहस्पतिवार को सहादतगंज से सिविल लाइन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिन लोगों ने रामपथ के फुटपाथ पर बिल्डिंग मटेरियल रखा है, उसको हटाया जा रहा है।

रामपथ पर सैकड़ों कुंतल रखी गई मोरंग और अन्य बिल्डिंग मटेरियल को जब्त किया गया। इसे नगर निगम के वाहनों में लोड करके नगर निगम परिसर में ले जाया जा रहा है साथ ही इसके मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि रामपथ पर यदि कोई भी व्यवसाई अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, रामलला दर्शन के सुगम मार्ग के लिए योगी सरकार ने सहादतगंज से नयाघाट तक 13 किलोमीटर का रामपथ बनवाया है। इसके किनारे पैदल आवाजाही के लिए फुटपाथ भी बनाए गए हैं। फुटपाथ पर आए दिन लोग अतिक्रमण करते है, जिससे आवागमन बाधित होता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक में 5.53 करोड़ का बजट पास

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज ब्लॉक सभागार में गुरुवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख मांती त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। इसमें 5.53 करोड़ रुपये का श्रम बजट पास किया गया। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष की जगह प्रतिनिधियों को देख क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई तो बीडीओ ने अगले बैठक में विभागाध्यक्षों को ही प्रतिभाग करने का आश्वासन दिया। बैठक में सबसे पहले बीडीओ कुमार कार्तिकेय मिश्र ने पूर्व की कार्यवाही व विकास कार्यों के बारे में जानकारी दीध। इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। क्षेत्र पंचायत सदस्य सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने जलनिगगम की ओर से पाइप डालने के लिए सड़कें खोदकर छोड़ना, शौचालय आवेदन की धनराशि का भुगतान अधिकांश पात्रों का न होना के साथ भत्ते व एजेंडे का बैठक के सप्ताह पूर्व जारी करने की मांग की। बीडीओ ने जल निगम के अधिकारियों को अगले बैठक से पूर्व खोदी गई सड़कों के मरम्मत की रिपोर्ट सदन में रखने का निर्देश दिया। भत्ते पर कहा सभी को नियमानुसार भत्ता खाते में भेजा जाएगा। प्रधान संघ अध्यक्ष दिलीप पाण्डेय ने प्रधानों का भत्ता व ग्राम सभा की संपतियों पर अन्य कार्यदाई संस्थाओं के कार्य करने पर प्रश्न उठाया। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ब्लॉक प्रमुख व बीडीओ ने कहा कि अगले तीन दिवस में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रस्ताव उपलब्ध करा दें ताकि कार्ययोजना में सम्मलित किया जा सके। वहीं आठ मार्च को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पात्रों को अधिक से अधिक शामिल कराने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी, राजू पाल, संतोष पासवान, ताकीब रिजवी, अमित तिवारी, मानसी पटेल, अजीत उपाध्याय, केसमान चौधरी, भूपेंद्र सिंह, विष्णु श्रीवास्तव, दीनेंद्र दत्त, चंद्रभान यादव, मनोज यादव, हरिशंकर सिंह, अंकित त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–1171/2017

जय प्रकाश गुप्ता

बनाम

विनय कुमार आदि

1. विनय कुमार उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र काली प्रसाद निवासी ग्राम नरहरिया तपा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती पोस्ट पुरानी बस्ती

तारीख पेशी 05–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश

(आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद 128/2022

त्रिलोकी आदि

बनाम

किशोर आदि

1. किशोर उम्र 70 साल 2. विश्राम उर्फ मनोज कुमार पुत्रगण लखन निवासीगण ग्राम गोरयामार तप्पा करौं परगना महुली पूरव तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीरनगर

तारीख पेशी 10–04–2025

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 10 माह 04 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 06 माह 03 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

युवाओं में उद्यमी बनने का बढ़ा क्रेज, लक्ष्य से अधिक आ गए आवेदन

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले के युवाओं में उद्यमी बनने की होड़ मची है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत बिना ब्याज ऋण लेकर युवा अपना उद्योग स्थापित करने में लग गए हैं। इस योजना से अभी तक 93 युवाओं ने अपना कारोबार शुरू भी कर लिया है। धीरे–धीरे तरक्की की ओर बढ़ने लगे हैं। वहीं बड़ी संख्या में हर रोज आवेदन विभाग को प्राप्त हो रहे हैं। सारा कोरम पूरा करने के बाद जिम्मेदार पत्रावलियों को विभिन्न बैंकों को भेज रहे हैं। बैंक में कोई अड़चन न आए इसको लेकर अधिकारी खुद नियमित इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले को वर्ष 2024–25 के लिए 700 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष कुल 956 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 799 को बैंक में स्वीकृति के बाद भुगतान के लिए भेज दिया गया है। वहीं बैंक से 204 के ऋण स्वीकृत कर दिए गए हैं। 93 को ऋण मिल चुका है और वे अपना रोजगार भी शुरू कर चुके हैं।

पिपरा प्रथम गांव निवासी अश्वनी कुमार पुत्र भोला प्रसाद ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पांच लाख का ऋण लेकर कारोबार शुरू किया।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0– 4939/23

धारा 134 उ0प्र0रा0संहिता2006

अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायिक बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

गणेश प्रसाद

बनाम

राजेश आदि

बावत मौजा करही तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

1. राजेश उम्र लगभग 40 वर्ष 2. निरंजन उम्र लगभग 38 वर्ष 3. घरलोटन उम्र लगभग 45 वर्ष 4. राजू उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्रगण रामफेर साकिनान करही तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष

5. ग्राम पंचायत करही द्वारा ग्राम प्रधान करही तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 6. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी 12–03–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 12 माह 03 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 5 कायदा 3)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0 295/2022

रामबरन

बनाम

तिलकराम आदि

1. तिलकराम उम्र लगभग 57 साल पुत्र साधू प्रसाद 2. रामू उम्र लगभग 37 साल 3. राकेश उम्र लगभग 35 साल पुत्रगण तिलकराम निवासीगण ग्राम जोकहा तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–03–2025

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 03 के 29 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–456/2024

राजेन्द्र कुमार आदि

बनाम

रामजनम वर्मा आदि

1. रामजनम वर्मा आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 विश्वनाथ 2. कमला देवी आयु 60 वर्ष पत्नी स्व0 विश्वनाथ निवासीगण ग्राम मदनापुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 25–03–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 03 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–60/2023

पुरूषोत्तम

बनाम

ग्राम पंचायत अध्यक्ष आदि

1. राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती 2. ग्राम पंचायत अध्यक्ष ग्राम भदेश्वरनाथ तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 28–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

सीएम योगी ने दिया निर्देश, इलाज के लिए एस्टिमेट मंगा लें, सरकार करेगी मदद

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्जनता दर्शनश किया। इस दौरान उन्होंने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं और कहा कि चिंता न कीजिए, समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं एक महिला ने परिवारीजन के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि एस्टिमेट मंगा लीजिए, सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचे और एक–एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में एक महिला समेत कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी एस्टिमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए।

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0 36/2025

श्रीमती मधु सेठी –सायल

1. श्रीमती मधु सेठी उम्र लगभग 48 वर्ष पत्नी रंजन चावला मकान संख्या 348 सेक्टर 21ए चंडीगढ़ हाल मुकाम मकान संख्या 8 स्टेशन रोड सुर्तीहट्टा पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 27–03–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925

दरख्वास्त मुसम्मा

वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 27–03–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–759/2024

परमानन्द सिंह

बनाम

श्रीमती इन्द्रा तिवारी आदि

1. श्रीमती इन्द्रा तिवारी पत्नी शारदा प्रसाद त्रिपाठी साकिन हरनाखुर्द तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती 2. श्री चन्द्रेश त्रिपाठी पुत्र स्व0 हरानन्द त्रिपाठी निवासी बहिराडीह पो0 मझौवा तहसील मनकापुर जिला–गोण्डा

तारीख पेशी 07–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0 41/2025

दिनेश कुमार–सायल

1. दिनेश कुमार उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र राम कैलाश निवासी ग्राम मिश्रौलिया तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम पोस्ट पदमापुर तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 28–03–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925

दरख्वास्त मुसम्मा

वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 28–03–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान अष्टम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–1343/2020

बब्बन प्रसाद

बनाम

देवेन्द्र आदि

1. देवेन्द्र उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र रामचरित्तर 2. सरजू प्रसाद उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र स्वामीनाथ 3. राजेन्द्र प्रसाद उम्र लगभग 55 वर्ष 4. राजेश उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्रगण जगन्नाथ निवासीगण ग्राम नटौवा तप्पा सिकन्दरपुर पो0 हियारूपुर लाला परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती (उ0प्र0)

तारीख पेशी 09–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 09 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

होली और रमजान पर विशेष सतर्कता बरते –सीएम योगी

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली और रमजान को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतें और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। पारंपरिक रूप से निकलने वाले जुलूस को लेकर भी सतर्कता बनाए रखें। दोनों पक्षों से संवाद स्थापित करें। मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

दो दिवसीय प्रवास पर बुधवार को आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी अभी से होनी चाहिए।

सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक कर लें। इस दौरान अगर कोई सकारात्मक सुझाव आते हैं तो उसे जरूर अमल में लाएं। पीस कमेटी के लोगों की तरफ से आने वाले सुझाव भी अहम होते हैं। इसके अलावा होली और रमजान को लेकर दोनों पक्षों के लोगों से लगातार समन्वय बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने जिले में चल रही निर्माण परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। कहा कि विकास परियोजनाओं पर लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। सभी परियोजनाएं समय से पूरा कराएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगगुरु परमहंस योगानंद की कोतवाली स्थित जन्म स्थली पर बनाए जाने वाले स्मृति भवन का निर्माण जल्द शुरू कराने को कहा। सीएम ने कहा कि सप्ताह भर में सारी औपचारिकताएं पूरी कराकर काम शुरू करा दें।

अफसरों ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया सप्ताह भर में पूरी हो जाएगी। इसके बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। अफसरों ने बताया कि पुराने भवन को गिराकर नया भवन बनेगा, जिसमें उनके कमरे और परिसर की मिट्टी को संरक्षित किया जाएगा।

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल bhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com